तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.08/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
28.3.2023	पत्रावली पेश हुई। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी अजय चौधरी पुत्र श्री गोवाराम चौधरी, निवासी– धानपुरा, वाया मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म जी.पी.के. सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, आबूरोड सुपर बाजार, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (हाल निलम्बित) द्वारा दिनांक 06.1.2022 को फर्म जी.पी.के.सपुर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, आबूरोड सुपर बाज़ार, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता अजय चौधरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1685 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./100/Act/2022/85 दिनांक 18.01.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 01.3.2023 को प्रतिवादी इस न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। प्रतिवादी को तीन बार आवाजे लगवाई गई, लेकिन प्रतिवादी आज नियत सुनवाई दिनांक 28.3.2023 को उपस्थित नही हुआ। प्रतिवादी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) दिनांक 06.1.2022 को समय 02.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म जी.पी.के.सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, आबूरोड़ सुपर बाजार, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से अजय चौधरी पुत्र श्री गोवाराम चौधरी, निवासी– धानपुरा, वाया– मण्डार, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड) बेचता है। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा निरीक्षण के दौरान [illegible] खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड) के अमान[illegible]शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनि[illegible] की इच्छा जाहिर करते हुए [illegible]वाह श्री .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.08/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता अजय चौधरी को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड) के 9 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) वास्ते नमूना जांच क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 260/– (अक्षरे रुपये दो सौ साठ मात्र) प्रतिवादी अजय चौधरी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1685, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Starch Powder(अनिल ब्राण्ड) का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये और खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड) के चारों नमूना पैक्ड पाउचेज पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1685 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) ने दिनांक 07.1.2022 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही [illegible] खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की व शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.08/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 06.1.2022 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (हाल निलम्बित) द्वारा फर्म जी.पी.के.सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, आबूरोड़ सुपर बाजार, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी अजय चौधरी से खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1685 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./100/Act/2022/85 दिनांक 18.1.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी अजय चौधरी ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि फर्म जी.पी.के.सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, आबूरोड़ सुपर बाजार, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता अजय चौधरी ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Starch Powder(अनिल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप(Misbranded) खाद्य पदार्थ Starch Powder (अनिल ब्राण्ड)के विक्रय हेतु फर्म जी.पी.के. सुपर बाजार प्राईवेट लिमिटेड, आबूरोड़ सुपर बाजार, पारसीचाल, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी अजय चौधरी पुत्र श्री गोवाराम चौधरी, निवासी– धानपुरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि उस पर आरोपित शास्ति (जुर्माना) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरो[illegible] Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त [illegible] सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं [illegible] के कार्यालय में 30 दिन में जमा करवाये। [illegible] शुमार होकर नंबर से कम हो तथा वास्ते जुर्माना राशि [illegible] आयन्दा दिनांक 08.5.2023 को पेश हो।

(के.आर.खौड)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:18:58 IST
Reason: SelfAttested